राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांकः एफ 27(69)ग्राविवि/ग्रुप–5/ ई.आ / विविध/पार्ट–। /2014–15 जयपुर, दि. 09 मार्च, 2016

जिला कार्यक्रम समन्वयक(ईजीएस)
एवं जिला कलक्टर,
समस्त, राजस्थान।

विषय :– **आवास योजनाओं का महात्मा गॉधी नरेगा से कन्वर्जेन्स के सम्बंध में।**

महोदय/महोदया,

ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण आवास खण्ड), भारत सरकार के आदेश संख्या J–11012/2/2013–RH दिनांक 08.07.2014 द्वारा महात्मा गॉधी नरेगा योजना के अन्तर्गत आवास निर्माण कार्य को अनुमत करते हुये 90 अकुशल श्रमिक दिवस के मानदेय की राशि अनुमत की गई है। कालान्तर में आदेश दिनांक 12.08.2015 द्वारा इन्दिरा आवास योजना में प्रयुक्त आवास सॉफ्ट एवं नरेगा सॉफ्ट का इन्ट्रीग्रेशन कर कार्यप्रणाली प्रेषित की गई है, जो सुलभ संदर्भ हेतु पुनः संलग्न है।

आवास योजनाओं (इन्दिरा आवास योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना, अन्य चिन्हित वर्ग आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना आदि) का महात्मा गॉधी नरेगा से कन्वर्जेन्स की समीक्षा में पाया गया है कि माह नवम्बर, 2015 से पूर्व स्वीकृत लगभग 3.00 लाख लाभार्थी योजनान्तर्गत लाभ उठाने हेतु पात्र है, परन्तु नरेगा सॉफ्ट की रिपोर्ट R6.22 के अनुसार इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत केवल 14167 व मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल योजान्तर्गत मात्र 3609 आवास प्रगतिरत प्रदर्शित हो रहे है। जिससे स्पष्ट है कि ग्रामीण बीपीएल परिवार, उनको देय लाभ से लगभग पूरी तरह वचिंत हो रहे है, जो कि खेदजनक है ।

महात्मा गॉधी नरेगा योजनान्तर्गत आवास निर्माण के स्तर के आधार पर देय राशि की आवश्यक प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृतियां एवं मस्टरोल जारी करने की प्रक्रिया के सम्बंध में निम्नानुसार कार्यवाही की जावें :–

1. विभागीय आदेश दिनांक 19.02.2016 द्वारा सम्पादित विशेष अभियान के अन्तर्गत सभी निर्माणाधीन आवासो की फोटो, आवास सॉफ्ट पर अपलोड की गई है। जिसको भौतिक सत्यापन का आधार मानकर, अभियान में रिपोर्ट किये गये निर्माण स्तर के आधार पर अलग–अलग ग्राम पंचायतवार सूची के आधार पर तकनीकी स्वीकृति संकलित पत्र में नियमानुसार अलग–अलग तकनीकी स्वीकृती क्रमांक अकिंत कर एवं एक साथ प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी जावें। इस हेतु विभागीय शिड्यूल ऑफ पावर के अनुसार स्वीकृतियां जारी कर दी जावें।
2. फार्म न. 6 के आधार पर डिमांड प्राप्त कर मस्टरोल जारी करने का दायित्व पूर्व में ही ग्राम पंचायत को हस्तांतरित है, जिसका उपयोग प्राथमिकता से व्यापक रूप से आवास योजना के लाभार्थियों हेतु किया जावें अर्थात् आवास योजना के लाभार्थियो के मस्टरोल ग्राम पंचायत द्वारा जारी कर दी जावें।

6/5/16

(राजीव सिंह ठाकुर)
शासन सचिव, ग्रावि

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
8. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गॉधी नरेगा।
9. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस/मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
10. परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव (मो एवं मू), को वेब–साईट पर अपलोड कराने हेतु।

अधीक्षण अभियंता, ग्रावि